

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : हिमांशु गुप्ता, आई0ए0एस0

विविध प्रकरण सं. 44/2018

प्रार्थी-

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया,
शाखा बाड़मेर-344001
जरिये प्राधिकृत अधिकारी

बनाम

अप्रार्थीगण-

1. श्री रामसिंह पुत्र श्री पूरसिंह जाति राजपूत निवासी हिंगलाज मंदिर के पीछे, इन्द्रा नगर बाड़मेर
2. श्रीमति राणकंवर पत्नी श्री रामसिंह जाति राजपूत निवासी हिंगलाज मंदिर के पीछे, इन्द्रा नगर बाड़मेर
3. श्री किशोर कुमार पुत्र श्री मदनलाल निवासी हिंगलाज मंदिर के पीछे, इन्द्रा नगर बाड़मेर (जमानतदार)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति :-

1. श्री पुरुषोत्तम सोलंकी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।


आदेश

दिनांक : 08/01/2019

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण रामसिंह व अन्य के विरुद्ध पेश किया गया।


प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कंपनी के द्वारा अप्रार्थीगण रामसिंह व अन्य की प्रार्थना पर एवं अप्रार्थी सं. 3 की व्यक्तिगत जमानत पर प्रतिभूतियों के एवज में कुल 8,00,000/- रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने प्रार्थी बैंक द्वारा जारी ऋण स्वीकृति की सभी शर्तों को स्वीकार किया एवं प्राप्त की गई ऋण सुविधा की राशि एवं उस पर देय ब्याज वापिस मांगने पर भुगतान करना





जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

स्वीकार किया। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 द्वारा स्वीकृत ऋण सुविधाओं का उत्तरदायित्व स्वीकार किया तथा प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी सं. 1 व 2 के संयुक्त स्वामित्व की सम्पत्ति यथा हिंगलाज मंदिर के पीछे, इन्द्रा नगर बाड़मेर स्थित बनाप 950 वर्गफीट एवं उस पर निर्मित भवन को प्रार्थी बैंक के पक्ष में बन्धक द्वारा रहन रखना स्वीकार किया एवं दिनांक 30.07.2013 को साम्यिक बन्धक रहन निष्पादित किया। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 05.12.2017 तक बकाया शेष रूपये 933073/- भुगतान नहीं करने पर ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के नाम से जरिये रजिस्टर्ड डाक से नोटिस जारी किये गये। प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर प्रतिभूति रहन रखी गई उक्त प्रतिभू सम्पत्ति अप्रार्थीगण सं. 1 से 2 के कब्जे व स्वामित्व में है इस कारण प्रार्थी बैंक द्वारा प्रतिभूत आस्ति को कब्जे में लेना सम्भव नहीं है, जिसका कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी पक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 800000/- ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त सम्पत्ति प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी है एवं अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 से दिनांक 05.12.2017 तक कुल रूपये 933073/- बकाया वसूल किये जाने है। अप्रार्थीगण को पंजीबद्ध डाक से नोटिस जारी किये जाकर समुचित रूप से संसूचित किया जा चुका है। इसके पश्चात अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थी के समक्ष नोटिस का जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, तथा न ही अप्रार्थी द्वारा बकाया राशि भुगतान किया है। ऐसे में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 14 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रहन रखी गई आस्तियों को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का समुचित आधार मौजूद है।





जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में रखी गई उक्त जायदाद बाड़मेर शहर में हिंगलाज मंदिर के पीछे, इन्द्रा नगर बाड़मेर स्थित बनाप 950 वर्गफीट एवं उस पर निर्मित भवन का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर प्रार्थी को सम्मलाये जाने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर को आदेश दिया जाता है। इस आदेश की एक-एक प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर एवं प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

5. आदेश आज दिनांक 08.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(हिमांशु गुप्ता)
जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर